भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 5
सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025 (10 अग्रहायण, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

आईजीआई विमानपत्तन पर जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएँ

***5. श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईजीआईए) पर जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएँ सामने आई हैं;

(ख) उक्त घटनाओं की जाँच तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति को कम करने हेतु नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश के अन्य प्रमुख विमानपत्तनों से भी इसी प्रकार की जीपीएस स्पूफिंग अथवा जैमिंग की घटनाएँ सूचित की गई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वैश्विक खतरों को ध्यान में रखते हुए देश के नागर विमानन नेटवर्क की साइबर सुरक्षा तथा नेविगेशनल इंटेग्रिटी को सुदृढ़ करने के लिए क्या दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"आईजीआई विमानपत्तन पर जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएँ" के संबंध में श्री एस निरंजन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या 05 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ङ): कुछ उड़ानों ने रनवे 10 पर एप्रोच करते हुए जीपीएस आधारित लैंडिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए आईजीआईए, नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जीपीएस स्पूफिंग की सूचना दी। रनवे 10 पर एप्रोच करने वाली जीपीएस स्पूफ उड़ानों के लिए आकस्मिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया था।

पारंपरिक दिक्चालन उपकरण प्रचालन सुविधा वाले अन्य रनवे छोरों पर उड़ानों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई क्षेत्र में जीएनएसएस हस्तक्षेप से निपटने के लिए वर्ष 2023 का परामर्शिका परिपत्र एएनएसएस एसी 01 दिनांक 24.11.2023 जारी किया था। इसके अलावा, डीजीसीए ने आईजीआई हवाईअड्डे के आसपास जीपीएस स्पूफिंग/जीएनएसएस हस्तक्षेप की घटनाओं की यथासमय रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 10 नवंबर 2025 को मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) से हस्तक्षेप/स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करने का भी अनुरोध किया है। उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान, डब्ल्यूएमओ को डीजीसीए और एएआई द्वारा साझा किए गए अनुमानित स्पूफिंग स्थल विवरण के आधार पर स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करने के लिए अधिक संसाधन जुटाने का निर्देश दिया गया था।

डीजीसीए द्वारा नवंबर 2023 से जीपीएस जैमिंग/स्पूफिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए अधिदेशित किए जाने के बाद, देश के अन्य प्रमुख हवाईअड्डों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई हवाईअड्डों से जीएनएसएस हस्तक्षेप रिपोर्टें प्राप्त की जा रही है।

पारंपरिक (ग्राउंड आधारित) दिक्चालन और निगरानी अवसंरचना से युक्त न्यूनतम प्रचालनिक नेटवर्क (एमओएन) को वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुसार बनाए रखा जाता है।
भारत नवीनतम कार्यप्रणाली और प्रौद्योगिकी से स्वयं को अवगत रखने के लिए वैश्विक मंचों में भाग ले रहा है ताकि इसे समय से कार्यान्वित किया जा सके।

इसके अलावा, विमानन क्षेत्र के लिए वैश्विक साइबर सुरक्षा खतरे रेनसमवेयर/मैलवेयर के रूप में मौजूद हैं। वैश्विक खतरों के विरुद्ध साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सूचना तकनीकी नेटवर्क और अवसंचरना के लिए अग्रिम साइबर सुरक्षा समाधान क्रियान्वित कर रहा है। ये कार्रवाई राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है।

साइबर सुरक्षा निरंतर उन्नयन द्वारा सुनिश्चित की जाती है। जैसे-जैसे खतरे की प्रकृति और प्रकार बदलता है, नए सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

*****